

डिक्री व मुकदमें इत्दाई  
( आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
( Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम R.A.S.

प्रकार कीरत बनाम गोदा राम वीररत

दावा बाबत 58, 53, 188 आर टी एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 8/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व वकुलाय हाजरी वकील जेठाराम चौधरी

मनजानिव मुदई वकील बन्तावर सिंह जाखड़ मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि

वादी का वाफ स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बोधल

के खसरा नम्बर 330/1, 331/12, 331/13, 1158/1,

1158, 1161/3 में वादीगण व प्रतिवादीगण का एक

दस्ता तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बख्ता प्रत्यक्ष

मप नजरी नम्बर अनुसार रहेगा। तहसीलदार पीपाड़


शहर से प्राप्त बख्ता प्रत्यक्ष मप नजरी नम्बर 330/1

निर्णय एवं डिक्री के भाग रहेगे। तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व रेकॉर्ड में कायम कर कार्यवाही करे।

लीज शून्य मुवलिक शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें  
के मय सूद व शरद शून्य फीसदी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलयाबी तक शून्य को अदा करें।

बसबल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/10/2015 को जारी की गई।



मुहर

सहायक कलक्टर एवं  
दस्तखत उपखण्ड अधिकारी  
ओहदा पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
	मीजान.....			मीजान.....	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।